रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 211] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 17, 1972/श्रावण 26, 1894

No. 211] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 17, 1972/SRAVANA 26, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

ORDERS

New Delhi, the 17th August 1972

G.S.R. 379(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972 (No. 36 of 1972), the Central Government hereby directs that the right, title and interest of the owner of each of the coking coal mines specified against serial Nos. 9 to 214 (both inclusive) of the First Schedule and of each of the coke oven plants specified in the Second Schedule to the said Act shall, with effect from the 1st day of May, 1972, vest in the Bharat Coking Coal Limited, Dhanbad, a Government company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956), and having its registered office at Sijua, District Dhanbad in the State of Bihar.

[No. 19(26)/72-CI.]

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

आदेश

नई दिल्ली 17 अगस्त, 1972

सा० का० नि० 379 (अ).—कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 36) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की क्रमसंख्या 9 से 214 तक (दोनों को सम्मिलित करके) के प्रति विनिर्दिष्ट कोककारी कोयला खानों में प्रत्येक खान के और द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोक भट्टी संयंत्रों में प्रत्येक संयंत्र के स्वामी का अधिकार, हक और हित, 1 मई, 1972 से, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद में जो कि, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित सरकारी कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय बिहार राज्य में सिजुआ, जिला धनबाद में स्थित है, निहित हो जाएगा ।

[सं० 19 (26)/72-सी आई]

G.S.R. 380(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972 (No. 36 of 1972), the Central Government hereby directs that the right, title and interest of the owner of each of the coking coal mines specified against serial Nos. 1 to 8 (both inclusive) of the First Schedule to the said Act shall, with effect from the 17th August, 1972, vest in the National Coal Development Corporation, Ranchi, a Government company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956), and having its registered office at Ranchi in the State of Bihar.

[No. 19.(26)/72-CI.]

S. K. DHAR, Dy. Secy.

सा० का० नि० 380 (अ).—कोककारी कोयला (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 36) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की क्रमसंख्या 1 से 8 तक (दोनों को सम्मिलित करके) के प्रति विनिर्दिष्ट कोककारी कोयला खानों में प्रत्येक खान के स्वामी

का अधिकार, हक और हित, 17 अगस्त, 1972 से, नेशनल कोल डिवलपमेंट कारपोरेशन, रांची, में जो कि, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित सरकारी कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय बिहार राज्य में रांची में स्थित है, निहित हो जाएगा

[सं० 19 (26)/72-सी आई]

एस० के० धर, उप सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972